सं0 043/1–15/2018–व.अ.सं.वि.वि.
वन अनुसंघान संस्थान समविश्वविद्यालय
डाकघर – आई.पी.ई. कॉलागढ़ रोड़, देहरादून

दिनांक 04 जून, 2020

सेवामें,

1– समस्त प्रभाग प्रमुख,
वन अनुसंधान संस्थान ।

2– समस्त Supervisor,
वन अनुसंघान संस्थान समविश्वविद्यालय ।

महोदय,

यह सूचित करना है कि नोवल कोरोना वायरस COVID-19 के कारण वन अनुसंधान संस्थान समविश्वविद्यालय में इस समय कोई भी पाठन/शोध का कार्य नहीं हो रहा है । अतः आपसे अनुरोध है कि आपके प्रभाग में अध्ययन कर रहे शोधकर्ता यदि वह देहरादून से बाहर रहते हैं, उन सभी शोधकर्ताओं को शोध/अध्ययन हेतु न बुलाया जाय । सभी पर्यवेक्षकों को यह भी सलाह दी जाती है कि उनके अतंर्गत शोधकर्ताओं को अभी न बुलायें। यदि किसी पर्यवेक्षक को उनके अंतर्गत कार्यरत शोधकर्ता को शोध कार्य के लिये बुलाना अति आवश्यक है, तो उस शोधकर्ता को वन अनुसंधान संस्थान परिसर में प्रवेश से पूर्व भारत सरकार/स्थानीय प्रशासन के नियमानुसार **07 दिन** सरकारी क्वारंटाइन (Govt. quarantine) तथा **14 दिन** होम क्वारंटाइन (Home quarantine) मे जाना होगा। सरकारी अथवा होम क्वारंटाइन (Home quarantine) की व्यवस्था वन अनुसंधान संस्थान द्वारा नही की जायेगी। उसके लिये शोधकर्ता स्वयं सरकारी नियमानुसार अपने स्तर पर खर्चे की व्यवस्था करेगें। क्वारंटाइन की अवधि समाप्ति के पश्चात सरकारी चिकित्सालय/न्यू फॉरेस्ट चिकित्सालय वन अनुसंधान संस्थान से प्राप्त स्वस्थता प्रमाण पत्र कुलसचिव, वन अनुसंधान संस्थान एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने के बाद ही अपने कार्य पर उपस्थित होंगें ।

यह पत्र निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान एवं कुलपति, वन अनुसंधान संस्थान समविश्वविद्यालय की अनुमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय

डा0 त्रिपाठी

(डा0 ए0के0 त्रिपाठी)
कुलसचिव,
वन अनुसंधान संस्थान समविश्वविद्यालय

प्रतिलिपिः–

1– निजी सहायक, निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान को निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान एवं कुलपति, वन अनुसंधान संस्थान समविश्वविद्यालय के लिये सूचनार्थ प्रेषित
2– कुलसचिव, वन अनुसंधान संस्थान को उनके सूचनार्थ प्रेषित ।
3– डीन (एकडमिक), वन अनुसंधान संस्थान समविश्वविद्यालय को उनके सूचनार्थ प्रेषित ।
2– सभी हॉस्टल वार्डन को उनके सूचनार्थ प्रेषित ।
3– सुरक्षा अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान को सूचनार्थ प्रेषित ।